

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:— एफ.2(ग)(1) अलेसे— I/ 352

दिनांक: 18.01.2019

आदेश संख्या: 337/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 (2ए) के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 की रिक्तियों पर विचार हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.08.2018 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर (सन्तान सम्बन्धी सूचना प्राप्ति की शर्त पर) किया गया था, के द्वारा सन्तान सम्बन्धी सूचना प्रस्तुत कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इनको पदोन्नति पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ के पद के लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	मेरिट संख्या	नाम (सर्वश्री)	जन्मतिथि	रिक्ति की दिनांक	वर्तमान पदस्थापन	पदोन्नति पर नवीन पदस्थापन
1	5367	112/88	सोहन सिंह चौहान	01.11.64	01/04/2018	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) जवाजा, अजमेर	उपकोषाधिकारी, अराई (अजमेर)
2	5658	185/88	विनोद कुमार शर्मा	19.11.65	01/04/2018	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, (प्रारम्भिक शिक्षा) डूंगरगढ़, बीकानेर	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (छात्र) डूंगरगढ़ (बीकानेर)
3	2544	282/88	धनश्याम दास गुप्ता	06.07.67	01/04/2018	खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, भरतपुर	महानिरीक्षक पुलिस रेंज, भरतपुर

पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी।

h
18.1.19
(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:— एफ.2(ग)(1) अलेसे— I/ 352

दिनांक: 18.01.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष.....
4. श्री सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-आ, कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब फैक्स अथवा विभागीय ई-मेल aaol.dta@rajasthan.gov.in पर इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक।
7. अलेसे-आ/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।

ad
(अरविन्द दीवान)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)